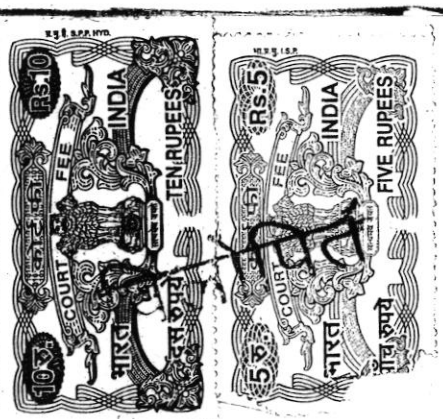

माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निगरानी प्र0क्र0/ 1418-II/13

1- रामसेवक तनय रामचरन मोदी निवासी जतारा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ म0प्र0

2- छिंकोडीलाल अग्रवाल तनय श्री मुरलीधर अग्रवाल निवासी जतारा, जिला टीकमगढ म0प्र0

.... निगराकार

बनाम

1- जगोले ढीमर तनय श्री दुल्ले ढीमर निवासी ग्राम बैरवार, तह0जतारा, जिला टीकमगढ म0प्र0

2- हज्जू, भगोला, मुलुआ तनय रमसींगा ढीमर निवासी ग्राम बैरवार, तह0जतारा, जिला टीकमगढ म0प्र0

3- पंखी बृजलाल तनय हल्का, संतू तनय बृजलाल ढीमर निवासी गांधीग्राम जतारा, तह0जतारा, जिला टीकमगढ

4- बाबा लटोरा तनय भगोला, मुल्लू तनय लटोरा ढीमर, निवासीयान गांधीग्राम जतारा, तह0जतारा जिला टीकमगढ म0प्र0

5- म0प्र0 शासन

... प्रतिनिगराकारगण

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के निगरानी प्र0क्र0/296/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 26.3.2013 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

महोदय जी,

निगराकार अपनी विनय सादर प्रस्तुत करता है कि :-

इस निगरानी मे माननीय न्यायालय मे जगोले तनय दुल्ले ढीमर निगराकार क्रमांक-01 है जबकि माननीय अपर कलेक्टर के यहां पर निगराकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1418–दो/2013 जिला– टीकमगढ़

रामसेवक आदि विरूद्ध जगोले ढीमर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस. सेंगर व अनावेदक क्र. 1,2,3 व 4 के वारिसान अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक क्र.5 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक दिनांक 27.08.2018 उपस्थित हुये एवं उन्हें सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र0क्र0 296/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2013 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 1 जगोले ढीमर तनय ढुल्ले ढीमर द्वारा अपने स्वामित्व ग्राम किटाखेंरा स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 275/1/1क/2/2 रकबा 2.091 हैक्टयर का सीमांकन हेतु मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार जतारा, जिला टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसके आधार पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक जतारा द्वारा मौके पर सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 22.08.2003 तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त सीमांकन पर आवेदकगण/ निगरानीकर्ता रामसेवक के द्वारा आपत्ति पेश की गई, जो राजस्व मण्डल के अन्य बटवारा प्रकरण में स्थगन आदेश के परिपालन में दिनांक	

03.07.2009 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 22.08.2003 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक जगोले ढीमर द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 99/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2011 से स्वीकार की गई तथा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.09 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदक एवं आपत्तिकर्ता को विधिवत सूचना दी जाकर उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का विधि सम्मत निराकरण करें ।

4/ अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के परिपालन में तहसीलदार जतारा द्वारा प्र. क्र. 26/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 से आवेदकगण का आवेदन पुनः निरस्त किया गया । तहसीलदार के प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 28.07.2011 का Oprating Para निम्नानुसार है– " मेरे द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये एवं प्राप्त दस्तावेजों का परिशीलन किया गया । जिससे पाया जाता है कि उक्त सीमांकन प्रकरण वर्ष 2002–03 लगभग 9 वर्ष पहले का है । उक्त सीमांकन राजस्व मण्डल के प्र.क्र. आर. 1500/पीबीआर/2003 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2004 के पूर्व लगभग 5 वर्ष तक स्थगित रहा । उसके बाद निरस्त हो गया । जो पुनः निगरानी स्वीकार होने से सुना गया । पूर्व आदेशों में यह विदित होता है कि विवादित भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू–अभिलेख टीकमगढ़ द्वारा किया जा चुका है। उक्त भूमि के संबंध में एक अपील कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के यहॉ

भी की गई थी। जो यथावत रहा है। राजस्व मण्डल के अंतिम आदेशों में तो बटवारा ही निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में पुनः सीमांकन प्रस्तुत कर नये विवाद को जन्म देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः राजस्व निरीक्षक जतारा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत समांकन प्रतिवेदन अस्वीकृत कर खारिज किया जाता है। "

5/ अनावेदक जगोले द्वारा पुनः अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी क्रमांक 296/निगरानी/2010–11 पेश की, जिसे आदेश दिनांक 26.03.2013 से स्वीकृत किया गया, जिस पर आवेदक रामसेवक ने पुनः यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

6/ अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26.03.2013 का अंतिम पैरा निम्नानुसार है – "अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जतारा के प्र.क्र. 26/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्र.क्र. 8/अ–12/2002–03 में राजस्व निरीक्षक जतारा के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 22.08.2003 के साथ संलग्न फील्डबुक, पंचनामा, सूचना पत्र यथावत स्वीकृत किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की भूमि पर वर्तमान में यदि किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो आवेदक की भूमि कब्जे से मुक्त कराने की कार्यवाही करें । निगरानी स्वीकार की जाती है।"

7/ मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार वाद क्रमांक 97ए/4 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2005 एवं तृतीय अपर जिला न्यायाधीश,

जिला–टीकमगढ़ के अपील प्रकरण क्रमांक 18ए/2005 में दिनांक 20.09.2005 के आदेश अनुसार सर्वे क्रमांक 275/1/1क/2/2 रकबा 2.091 हैक्टयर के सम्बन्ध में वादी जगोले ढीमर/गैरनिगरानीकर्ता का स्वत्व तथा अधिपत्य घोषित किये जाने एवं विवादित भूमि पर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में प्रतिवादीगण(निगरानीकर्ता आदि) किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें तथा न ही अतिक्रमण करें, के सम्बन्ध में वादी का दावा निरस्त किया गया है।

8/ व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय में बंधनकारी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार जतारा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित(Remand) किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये पक्षकारों की भूमि का रकबा निंधारित करें, तत्पश्चात् रकबा की तरमीम की जाकर पुनः उभयपक्षों एवं जो व्यक्ति फौत हो चुके है उनके वारिसानों की उपस्थिति में सीमांकन किया जाये।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 26.03.2013 निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष के अभिभाषकों को नोट करायें । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

20.9.2018

(आर.के. जैन)
सदस्य